वर्ष 2015 से 2025 तक विभागीय कार्य योजना

पशुपालन विभाग
मध्यप्रदेश

वर्ष 2015 से 2025 तक विभागीय कार्य योजना

पशुपालन से संबंधित गतिविधियाँ तथा कार्यक्रम प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में तथा प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन की गतिविधियाँ सस्ता एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर भूमिहीन एवं छोटे किसानों तथा महिलाओं में लाभकारी आजीविका के सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं व विपरीत जलवायु परिस्थितियों एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय पशुपालन कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।दुग्ध उत्पादन बढाने की दिशा में विभाग द्वारा विभिन्न समन्वित प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2011–12 तक प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सातवे स्थान पर रहा किन्तु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्परूप वर्ष 2012–13 में प्रदेश महाराष्ट्र से आगे निकलकर राष्ट्र में छटवे स्थान पर तथा वर्ष 2014–15 में म.प्र., आन्ध्रप्रदेश एवं पंजाब से आगे निकलकर चौथे स्थान पर आ गया

प्रदेश में पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हेतु ये आवश्यक है कि प्रदेश के उत्पादक मादा पशुओं की संख्या में वृद्धि के साथ–साथ अच्छी गुणवत्ता वाले पशु यथा वर्णित नस्ल, संकर नस्ल, एवं ग्रेडेड पशुओं की संख्या में वृद्धि हो साथ ही प्रदेश के पशुओं की उत्पादकता में भी वृद्धि हो । पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक इन अति आवश्यक कारकों में उल्लेखनीय सुधार हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम आगामी दस वर्षो हेतु लक्षित हैं ।

1. पशु चिकित्सा कव्हरेज को बढ़ाना

1.1 वर्ष 2014–15 में विभाग अंतर्गत 1008 पशु चिकित्सालय तथा 1569 पशु औषधालय कार्यरत हैं। वर्ष 2024–25 तक अतिरिक्त 400 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन तथा 300 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाएगी ।

1.2 आदिवासी क्षेत्रों के पशुपालकों को सहजता से घर पहुँच पशु चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 89 आदिवासी विकास खण्डों में अनुबंध के आधार पर चल पशु चिकित्सा इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 तक उक्त योजना को विस्तारित करते हुए प्रदेश के समस्त विकासखण्डों में "109" आकस्मिक पशु चिकित्सा इकाई प्रारंभ की जाएंगी।

1.3 ई–वेट परियोजना के माध्यम से पशुपालकों को, विशेष तौर पर दूर–दराज के क्षेत्र के पशुपालकों को ''घर पहुँच'' पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2024–25 तक उक्त योजना को विस्तारित किया जाएगा।

1.4 पशुपालकों को एक ही भवन के अंतर्गत आधुनिकतम जाँच व उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में पॉलीक्लीनिक्स स्थापित है तथा उपरोक्त पॉलीक्लीनिक्स का संचालन सुनिश्चित करते हुए समस्त पॉलीक्लीनिक्स में विषय विशेषज्ञों को पदस्थ किया जाएगा।

1.5 वर्तमान में 42 जिलों में रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएँ संचालित हैं। वर्ष 2016–17 तक शेष जिलों रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी।

1.6 पशु स्वास्थ्य एवं जैविक संस्थान महू में टीका द्रव्य के उत्पादन हेतु जीएमपी (Good Manufacturing Practices) एवं जीएलपी (Good Laboratory Practice)के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप इस संस्थान का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिससे टीका द्रव्यों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार के साथ–साथ परिमाणात्मक वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही टीकाद्रव्य का वार्षिक उत्पादन 210 लाख डोज से बढाकर वर्ष 2024–25 तक 450 लाख डोज प्रतिवर्ष किया जा सकेगा।

1.7 2000 अतिरिक्त ग्राम पंचायतो में गौसेवक प्रशिक्षित करते हुए प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतो में एक गौसेवक द्वारा सेवाएं प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

1.8 विभिन्न संक्रामक रोगों की आधुनिक तकनीक से जाँच हेतु प्रदेश में संचालित राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला का BSL II स्तर पर सुदृढीकरण किया गया है। प्रदेश के शेष छः संभागीय मुख्यालयों पर संचालित रोग अन्वेषण प्रयोगशालाओं को भी BSL II स्तर पर सुदृढीकरण किया जाएगा।

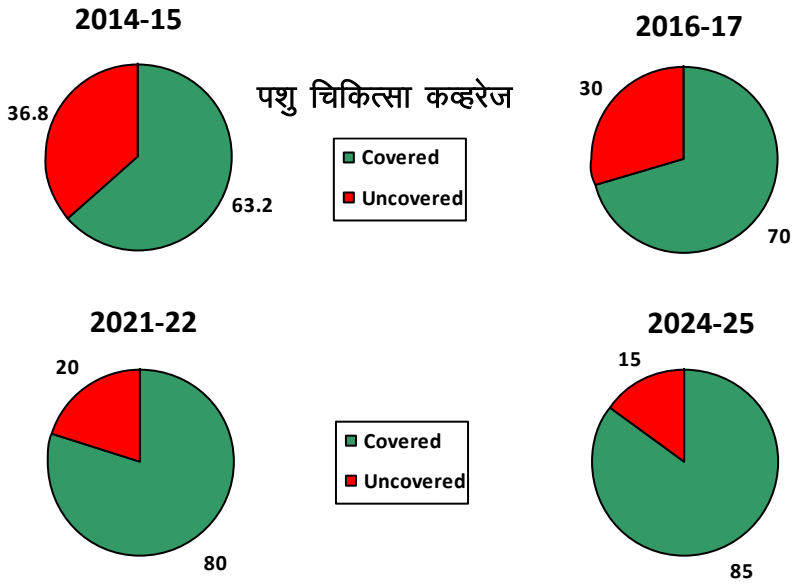

नई चिकित्सीय संस्थाओं को खोलने, संस्थाओं के उन्नयन तथा नई तकनीक यथा ई–वेट प्रोजेक्ट के प्रयोग से पशु चिकित्सा सेवाओं का कव्हरेज जो कि वर्ष 2014–15 में 63.20 प्रतिशत था 2016–17 तक इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर लिया जाएगा तथा वर्ष 2024–25 के अंत में 85.00 प्रतिशत हो जाएगा तथा । पशु चिकित्सा कव्हरेज बढने के फलस्वरुप एक ओर जहाँ वर्ष 2014–15 में 96.88 लाख पशु उपचार एवं 207.08 लाख टीकाकरण किया गया है वहीं वर्ष 2024–25 के अंत में 450 लाख टीका द्रव्य से टीकाकरण एवं 350 लाख पशुओं का उपचार किया जाएगा।

2 नस्ल सुधार कार्यक्रम

2.1 **कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम –** पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 110 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं के 60 प्रतिशत (66.00 लाख) को कृत्रिम गर्भाधान सुविधा के अंतर्गत लाया जाना है। विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं एवं प्राईवेट ए.आई वर्कस के द्वारा प्रति संस्था 1000 प्रजनन योग्य मादा पशु के मान से 57.56 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा के अंतर्गत लाया गया है । इस प्रकार शेष 8.44 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए 844 नवीन कृत्रिम गर्भाधान संस्थाओं की आवश्यकता होगी। वर्ष 2016–17 तक अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु 844 कृत्रिम गर्भाधान संस्थाएं / एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना /कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से लक्षित (8.44 लाख) प्रजनन योग्य मादा पशुओं को कृ.ग. सुविधा के अंतर्गत लाया जाएगा ।

2.2 वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल की फ्रोजन सीमन डोजेज उत्पादन क्षमता 19.09 लाख से बढ़ाकर वर्ष 2024–25 तक 45.00 लाख की जाएगी।

2.3 प्रदेश के नस्ल सुधार कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से उच्च आनुवांशिक गुण वाले वत्सों के उत्पादन हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला में भ्रूण प्रत्यारोपण 93 से बढ़ाकर वर्ष 2024–25 तक 250 भ्रूणों को प्रत्यारोपित किया जाएगा साथ ही भ्रूण उत्पादन हेतु अत्याधुनिक तकनीक IVF तथा Embryo Culture का उपयोग भी किया जाएगा।

2.4 वर्ष 2014–15 की स्थिति में भोपाल तरल नत्रजन संयंत्र से लगभग 1.50 लाख लीटर तरल नत्रजन उत्पादित की गई वर्ष 2024–25 तक सभी 5 संयत्रों (भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर एवं सागर) से 9.00 लाख लीटर

तरल नत्रजन उत्पादित की जाएगी, ताकि प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

कृत्रिम गर्भाधान कव्हरेज

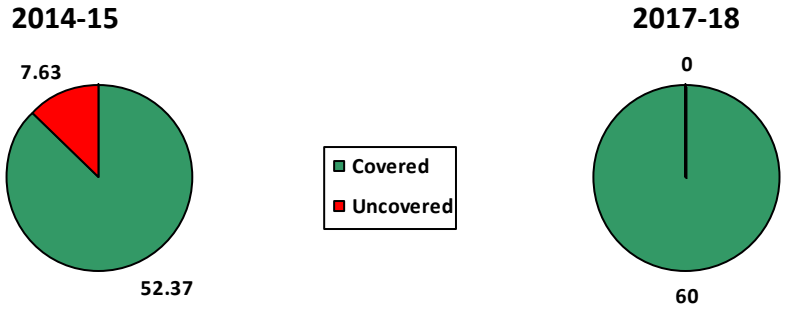

अतः 844 अतिरिक्त पशु चिकित्सा संस्थाएं / निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रारंभ करते हुए कृत्रिम गर्भाधान कव्हरेज जो कि वर्ष 2014–15 में 52.37 प्रतिशत् था उसे बढाकर वर्ष 2016–17 में 60.00 प्रतिशत (आर्दश स्थिति) किया जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान का कव्हरेज बढने से एक ओर वर्ष 2014–15 में जहॉ 23.87 लाख कृत्रिम गर्भाधान होता था वहीं वर्ष 2024–25 में 40.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा।

3. **प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले गौ वंशीय एवं भैंस वंशीय सांडों का प्रदाय** :–नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कुल उपलब्ध 110 लाख प्रजनन योग्य मादा पशुओं में से 60 प्रतिशत (66.00 लाख) मादा पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एवं 40 प्रतिशत (44.00 लाख) मादा पशुओ को प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से प्रजनन की सुविधा उपलब्ध कराई जाना है। प्रत्येक जिले की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, जलवायु एवं मिट्टी के आधार पर समुन्नत पशु प्रजनन योजना अंतर्गत अनुदान पर मुर्रा भैंस वंशीय सांडों व नंदीशाला योजना अंतर्गत देशी वर्णित नस्ल के गौ वंशीय सांडों यथा गिर, हरियाणा, मालवी, निमाडी का उत्प्रेरण करते हुए नस्ल सुधार कार्यक्रम किया जाएगा। उक्त के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक कुल 30,000 गौ सांड एवं 35,000 भैंस वंशीय सांड प्रदाय किए जाएंगे।

4. **प्रदेश से बाहर के दुधारू पशुओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्प्रेरण :–** विभागीय योजनाओं में मुख्यतः बैंक ऋण एवं अनुदान पर तथा आचार्य विद्या सागर योजनान्तर्गत राज्य के बाहर से उन्नत दुग्ध उत्पादक नस्लों (साहीवाल, गिर, जर्सी क्रास, होल्स्टीन फ्रीजन क्रास, मुर्रा एवं ग्रेडेड मुर्रा) के दुधारु पशुओं का उत्प्रेरण किया जा रहा है। उक्त के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक कुल 1,50,000 दुधारू पशु प्रदाय किए जाएंगे।

5. **स्थानीय नस्ल को बढ़ावा देने एवं उच्च आनुवांशिक एवं उत्पादन वाले पशुओं के पालन को बढावा देना** :– स्थानीय नस्ल को बढ़ावा देने एवं उच्च आनुवांशिक एवं

उत्पादन वाले पशुओं का डाटाबेस एकत्रित करने के लिए एवं भारतीय देशी गौवंश को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 1459 पशुपालकों को पुरस्कृत किया जाएगा एवं देशी नस्ल के दुधारू भैंस वंशीय पशुओं को पुरस्कृत करने हेतु नवीन योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही वत्स पालन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक 50,000 हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा।

6. **गौसंवर्धन एवं संरक्षण :–** प्रदेश की कुल 628 पंजीकृत गौशालाओं में लगभग 100 गौशालाएं ऐसी है जिनमें 250 से अधिक गौवंश हैं । इन गौशालाओं को पशुपालन विभाग की नंदी शाला योजना के माध्यम से उन्नत नस्ल के नंदी प्रदाय कराए जाएंगे। जिनसे प्राप्त नर वत्सों का पालन आगामी तीन वर्षो तक गौशालाओं द्वारा किया जाएगा । तीन वर्षों उपरांत गौशाला द्वारा यह नंदी आसपास के ग्रामों में प्रजनन हेतु वितरित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक आर्दश गौशाला स्थापित की जाएगी जिनमें बायोगैस से विद्युत संयत्र की स्थापना, गौमूत्र औषधि निर्माण एवं जैविक खाद निर्माण किया जाएगा

7. **प्रक्षेत्रों का आधुनिक विकास** – बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल पर आधुनिक एवं स्वचलित डेयरी प्रक्षेत्र की स्थापना की जाएगी तथा प्रक्षेत्र पर गाय का दूध 800 से 1000 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन एवं वितरण किया जाएगा।

8. बकरियों में नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत विभाग द्वारा अनुदान पर बकरा का प्रदाय योजना संचालित की जा रही है। उक्त के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक कुल 1,35,000 अनुदान पर बकरा का प्रदाय किया जाएगा साथ ही देशी बकरियों में नस्ल सुधार एवं हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2024–25 तक कुल 22,000 इकाईयों का प्रदाय किया जाएगा।

9. कुक्कुट की मध्य प्रदेश की स्थानीय नस्ल कड़कनाथ के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 32000 कड़कनाथ नस्ल की इकाईयों का वितरण एवं बैकयार्ड कुक्कुट इकाई योजना अंतर्गत एक लाख इकाईयों का वितरण किया जाएगा। ग्रामीण बैकयार्ड योजना अन्तर्गत एक लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

10. **दुग्ध संकलन** एवं **दुग्ध विक्रय में वृद्धि एवं साँची ब्रांड का सुदृढ़ीकरण**

10.1 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन :– राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादित दूध के संग्रहण, संसाधन, मूल्य सर्वधन एवं विपणन हेतु प्रदेश में सहकारिता आधारित कार्यक्रम को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा । प्रदेश में सहकारी डेयरी गतिविधियाँ त्रिस्तरीय ''आनंद'' पद्धति पर संचालित की जा रही हैं, जिसमें एमपीसीडीएफ शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्यरत है। प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सदस्यों द्वारा गठित 6300 ग्रामीण

सहकारी दुग्ध समितियाँ हैं जिनके 2.37 लाख सदस्य हैं वर्ष 2024–25 तक कार्यरत दुग्ध के समितियों की सँख्या 6300 बढ़ाकर 11300 एवं ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सदस्यों की संख्या 5.1 लाख की जाएगी।

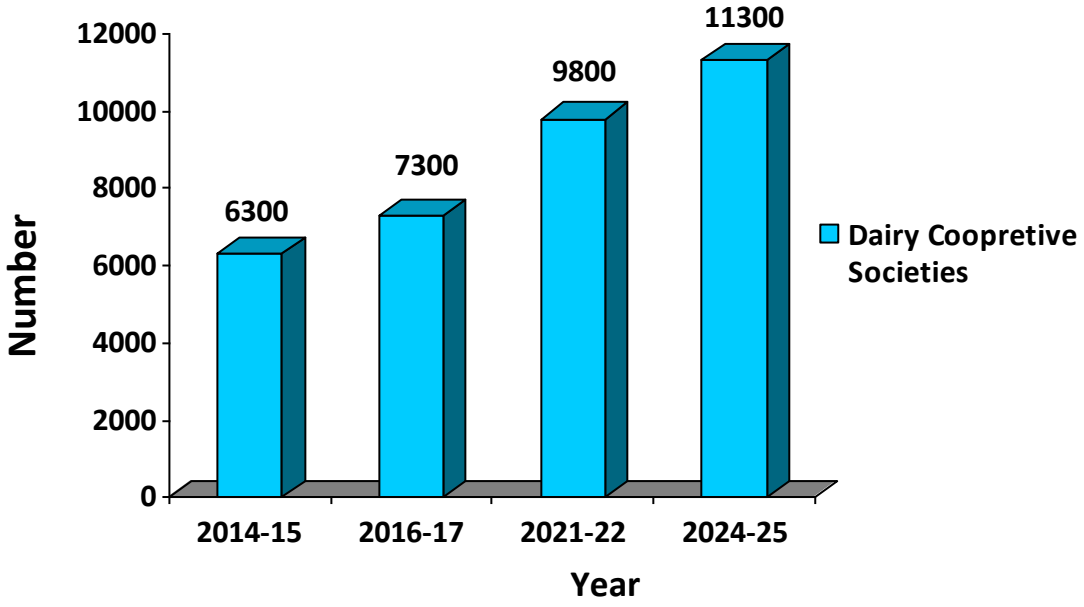

10.2 **दुग्ध संकलन** :–वर्तमान में दुग्ध समितियों के माध्यम से 11.02 लाख किलोग्राम प्रतिदिन के मान से दुग्ध संकलन किया गया है। वर्ष 2024–25 तक इसे बढ़ाकर 44.60 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध का संकलन किया जाएगा।

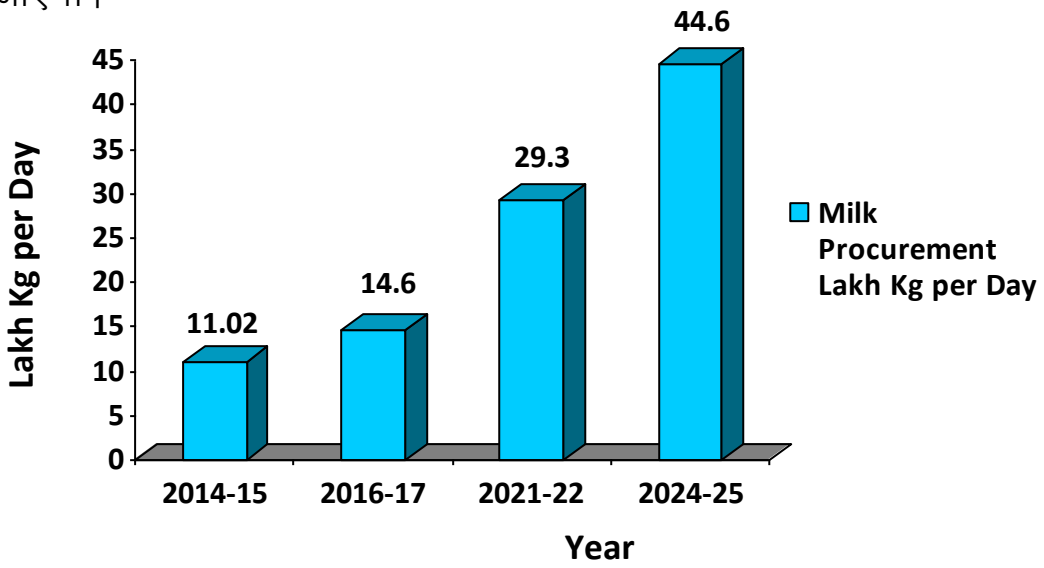

10.3 **दुग्ध विक्रय** :– दुग्ध संघो द्वारा वर्ष 2014–15 में 8.81 लाख लीटर प्रतिदिन औसत के मान से दूध विक्रय किया गया है। वर्ष 2024–25 तक इसे बढ़ाकर 22.90 लाख लीटर औसत प्रतिदिन के मान से दूध विक्रय किया जाएगा। जिस हेतु प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दूध तथा दुग्ध उत्पाद विक्रय में सहकारी क्षेत्र द्वारा अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु तहसील स्तर तक डीलर नेटवर्क का विस्तार करते हुए दुग्ध उत्पादों की श्रृंखला में वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त

आक्रामक/प्रतिस्पर्धात्मक विपणन गतिविधियाँ संचालित करते हुए रिटेल आउटलेट (फुटकर विक्रय केन्द्र) की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

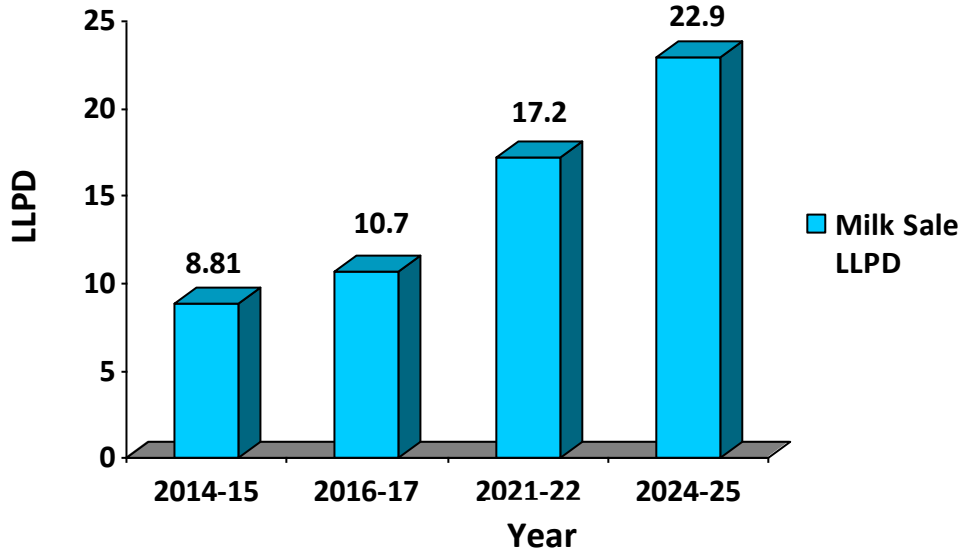

10.4 पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 750 मेट्रिक टन से बढाकर 1000 मेट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी ।

10.5 वर्तमान में संतुलित पशु आहार विक्रय 115.50 हजार मेट्रिक टन किया जा रहा है वर्ष 2024–25 तक पशु आहार विक्रय 300 हजार मेट्रिक टन किया जाएगा।

10.6 दुग्ध संघो का वार्षिक टर्न ओवर रू. 1607 लाख से बढ़ाकर रू. 6500 लाख किया जाएगा।

11. विभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना के आधार पर पशु चिकित्सा कव्हरेज, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार कव्हरेज, प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार में वृद्धि तथा पशु उत्प्रेरण, पशु आहार संयंत्रों की क्षमता वृद्धि के फलस्वरुप प्रदेश के पशुधन उत्पादों में वर्ष 2024–25 तक निम्नानुसार वृद्धि लक्षित है –

11.1 प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 10.78 मिलियन टन से बढ़ाकर 25.52 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

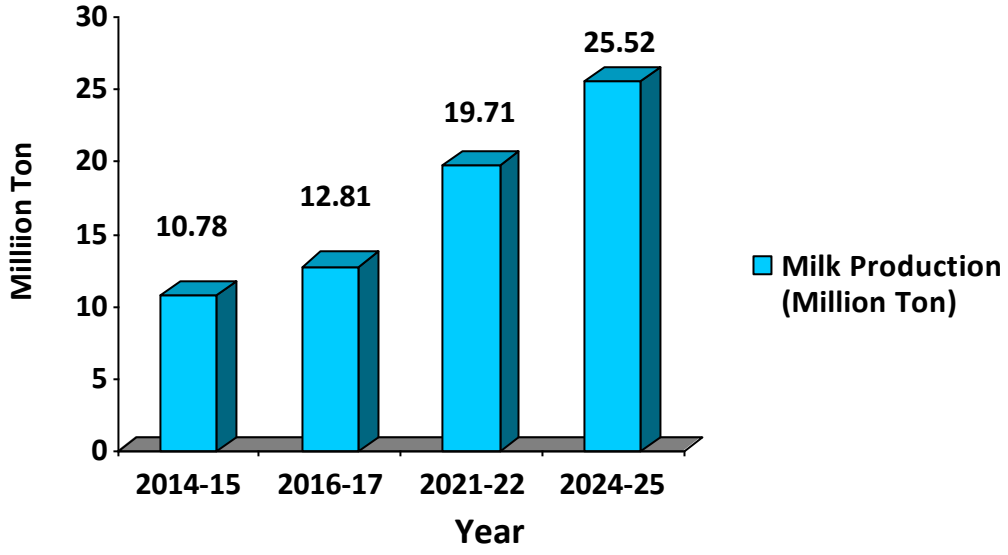

11.2 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 283 ग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 557 ग्राम प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

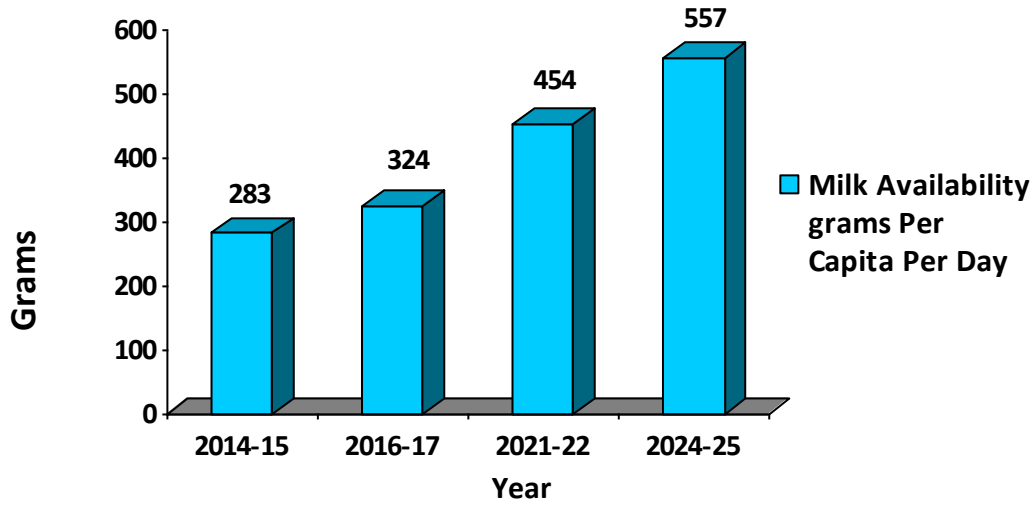

11.3 प्रदेश का अण्डा उत्पादन 12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 1177 मिलियन से बढ़ाकर 3657 मिलियन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

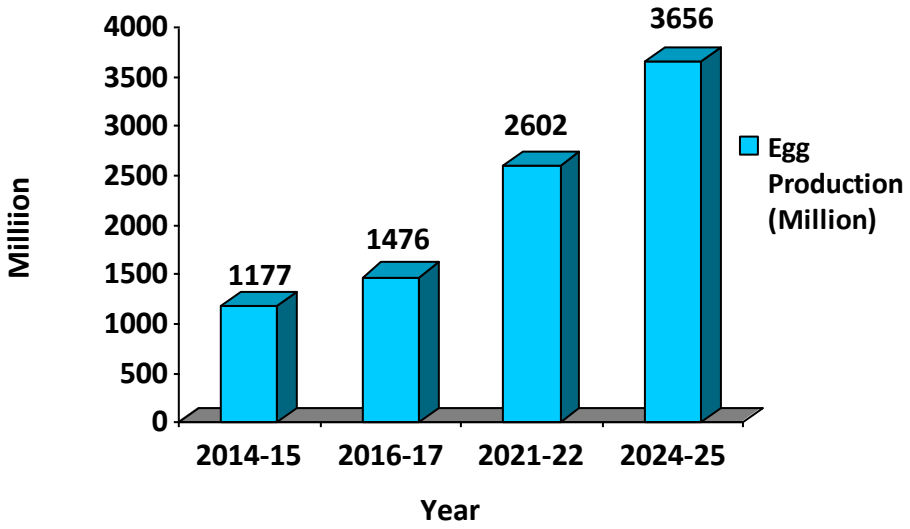

11.4 प्रति व्यक्ति वार्षिक अण्डे की उपलब्धता 15 अण्डे से बढ़ाकर 40 अण्डे का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

11.5 प्रदेश का मांस उत्पादन 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 58.89 हजार टन से बढ़ाकर 152.75 हजार टन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।